

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2022

सा.का.नि. _____(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) तीसरा संशोधन नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में, उपाबंध में, ई-प्ररूप डीआईआर-3 केवाईसी और वेब-प्ररूप डीआईआर-3 - केवाईसी-वेब के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप क्रमशः रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“प्ररूप सं. डीआईआर-3 - केवाईसी

निदेशकों की केवाईसी
कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता)
नियम, 2014 के नियम 12क के अनुसरण में]



प्ररूप की भाषा

अंग्रेजी हिंदी

- के रूप में अंकित स्थानों को भरना अनिवार्य है।
- भारतीय राष्ट्रियता की दशा में, आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) सभी मामलों में अनिवार्य है, भले ही आयकर पैन में कोई परिवर्तन न हो। ऐसे मामलों में, निदेशक का विवरण आयकर पैन के अनुसार होना चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार विवरण गलत है, तो निदेशक / नामित भागीदार को सलाह दी जाती है कि पहले आयकर पैन में विवरण सही करें।
- प्ररूप की फाइलिंग के लिए निदेश किट देखें।

निदेशक संबंधित सूचना

1. (क) *निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) _____

(ख) *नाम _____

2. निदेशक का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

(क) प्रथम नाम _____

(ख) उपनाम _____

(ग) मध्य नाम _____

3. पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम भरें)

(क) प्रथम नाम _____

(ख) उपनाम _____

(ग) मध्य नाम _____

4. *क्या भारतीय नागरिक हैं हां नहीं
5. *राष्ट्रीयता _____
6. *क्या भारतीय निवासी हैं हां नहीं
7. *जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष) _____
8. *लिंग पुरुष स्त्री ट्रांसजेंडर
9. आयकर स्थायी खाता संख्या _____
आयकर पैन सत्यापित करें
10. *क्या आपके पास आधार है हां नहीं

- आधार संख्या _____
11. मतदाता पहचान पत्र संख्या _____
12. * क्या आपके पास वैध पासपोर्ट है हां नहीं
पासपोर्ट संख्या _____
13. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या _____
14. *निजी मोबाइल संख्या _____
ओटीपी भेजें पुनः ओटीपी भेजें
15. *मोबाइल संख्या के लिए ओटीपी दर्ज करें _____ ओटीपी सत्यापित करें
16. *निजी ई-मेल आईडी _____
ओटीपी भेजें पुनः ओटीपी भेजें
17. *ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी दर्ज करें _____ ओटीपी सत्यापित करें
18. स्थायी आवासीय पता
क्या भारत से बाहर स्थायी पता है हां नहीं
पंक्ति I _____
पंक्ति II _____
देश _____
*पिन कोड/ज़िप कोड _____
*क्षेत्र/इलाका _____
*नगर _____
जिला _____
राज्य/संघ राज्य _____
*पुलिस स्टेशन का अधिकार-क्षेत्र _____
दूरभाष _____
फैक्स _____
19. *क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता एक ही है हां नहीं
20. वर्तमान आवासीय पता

*पंक्ति I _____

पंक्ति II _____

*देश _____

*पिन कोड/ज़िप कोड _____

*क्षेत्र/इलाका _____

*नगर _____

जिला _____

*राज्य/संघ राज्य _____

*पुलिस स्टेशन का अधिकार-क्षेत्र _____

दूरभाष _____

फैक्स _____

संलग्नक

(क) स्थायी पते का प्रमाण	फाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(ख) आधार कार्ड की प्रति	फाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(ग) पासपोर्ट की प्रति	फाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(घ) वर्तमान पते का प्रमाण	फाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड
(ङ) वैकल्पिक संलग्नक- यदि कोई हों	फाइल चुनें	हटाएं	डाउनलोड

सत्यापन

मैं एतदद्वारा यह पुष्टि और सत्यापन करता/करती हूँ कि इस प्ररूप में दिए गए सभी विवरण सही हैं और इससे संलग्न किए जा रहे दस्तावेजों के अनुरूप हैं।

- (i) प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न किए जा रहे दस्तावेज मुझसे संबंधित हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि सभी अपेक्षित दस्तावेज संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से जारी किए गए हैं और उक्त प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न;
- (ii) मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि यह मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी है।

- (iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी करार नहीं किया गया है,
- (iv) मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन डीआईएन जिसमें परिवर्तन सूचित किए गए हैं, के अतिरिक्त, पहले कोई निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के अधीन कोई पद नामित भागीदार पहचान संख्या आबंटित नहीं की गई है,
- (v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के साथ पठित धारा 447 के तहत एवम भारतीय दंड संहिता 1860 के संबंधित प्रावधानों और यथा लागू किसी अन्य कानून के अधीन, यदि इस आवेदन में कोई बयान गलत पाया गया है या किसी सामग्री तथ्य को छिपाया गया है, तो मैं उसका उत्तरदायी रहूंगा।

*डीआईएन धारक द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर हेतु

डीएससी बॉक्स

पैक्टिसिंग पेशेवर द्वारा प्रमाणपत्र

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के स्पष्टीकरण/प्रमाणीकरण के उद्देश्य के लिए विधिवत रूप से नियुक्त किया गया हूँ। एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

- *मैं संलग्न मूल दस्तावेजों के आधार पर डीआईएन धारक और उनके पते के संबंध में संतुष्ट हूँ।
टिप्पण: आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की स्थिति में विशिष्टियों को यथाविहित सत्यापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित दस्तावेजों से किया जाना है।
 - *मैंने, मेरे समक्ष प्रस्तुत मूल दस्तावेजों के आधार पर डीआईएन धारक के दस्तावेजों को सत्यापित और अनुप्रमाणित कर लिया है।
 - *इस आवेदन के साथ आवश्यक अनुलग्नक पूर्ण रूप से संलग्नक हैं।
 - *मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ा है तथा मैंने कंपनी/ डीआईएन धारक द्वारा रखे जा रहे मूल अभिलेखों से उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नक सहित) का सत्यापन कर लिया है जो कि इस प्ररूप की विषयवस्तु है और इन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपायी नहीं गई है।
- *मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि :-
- *मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक के हैं।
 - *सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और पठनीय रूप से संलग्न

किये गए हैं।

- मैंने आगामी संदर्भ के लिए अपने अभिलेखों में इस प्ररूप और इसके संलग्नकों की एक प्रतिलिपि रख ली है।
- यह जात है कि यदि कभी भी कोई प्रमाणन मिथ्या पाया गया तो मेरे विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के साथ पठित धारा 447 के तहत गलत प्रमाणपत्रों के लिए मैं उत्तरदायी हूं, के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

*डिजिटल हस्ताक्षर हेतु

DSC BOX

*श्रेणी _____

(चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्ण-कालिक अभ्यासरत), कॉस्ट अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यासरत), सचिव, पूर्णकालिक, अभ्यासरत)

* एसोसिएट हैं या फेलो

○ एसोसिएट

○ फेलो

सदस्यता संख्या _____

प्रेक्टिस का प्रमाण पत्र संख्या _____

सेव करें

जमा करें

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और धारा 449 के साथ पठित 447 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमशः मिथ्या विवरण/प्रमाण-पत्र और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु:

ई-फार्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) _____

ई-फार्म जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) _____

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक रीति से एवं निदेशक और पेशेवर द्वारा दिए गए यथातथ्यता के विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में रख दिया गया है।”



प्ररूप सं. डीआईआर-3 - केवाईसी-वेब

निदेशकों की केवाईसी का ब्यौरा
कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम,
2014 के नियम 12क के अनुसरण में]

प्ररूप की भाषा

अंग्रेजी

हिंदी

- प्ररूप की फाइलिंग के लिए निदेश किट देखें।
- के रूप में अंकित स्थानों को भरना अनिवार्य है।

उपयोगकर्ता सत्यापन

1. *निदेशक पहचान संख्या

2. (क)*निजी मोबाइल संख्या _____

ओटीपी भेजें

पुनः ओटीपी भेजें

*मोबाइल संख्या के लिए ओटीपी दर्ज करें _____

ओटीपी सत्यापित करें

(ख) *निजी ई-मेल आईडी _____

ओटीपी भेजें

पुनः ओटीपी भेजें

*ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी दर्ज करें _____

ओटीपी सत्यापित करें

उपयोगकर्ता का ब्यौरा

3. *निदेशक का नाम _____

4. *पिता का नाम _____

5. *क्या भारतीय हैं _____

हां

नहीं

6. *राष्ट्रीयता _____

7. *क्या भारतीय निवासी हैं _____

हां

नहीं

8. *जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष) _____

9. *लिंग _____

10. आयकर पैन _____
11. आधार संख्या _____
12. मतदाता पहचान पत्र संख्या _____
13. पासपोर्ट संख्या _____
14. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या _____
15. *स्थायी आवसीय पता _____
16. *वर्तमान आवसीय पता _____

पुष्टीकरण

- * मैं, यह स्वीकार एवं पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य, सही और पूर्ण हैं।


रद्द करें

सेव करें

आगे बढ़ें

171

[फा. सं. 8/4/2018-सीएल-1 पार्ट-1]


मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 439(अ) तारीख 10 जून, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2022

G.S.R.____ (E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to sub-section(1), sub-section (4), clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section(1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, in the Annexure, for e-form DIR-3-KYC and web-form DIR-3-KYC-WEB, the following forms shall respectively, be substituted, namely:-



"FORM NO. DIR-3-KYC

KYC of Directors

[Pursuant to rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

Form language

English

Hindi

All fields marked in * are mandatory

In case of Indian nationals, Income-tax Permanent Account Number (Income-tax PAN) is mandatory in all cases even if there is no change in Income-tax PAN. In such cases, director details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, director/designated partner is advised to first correct the details in Income-tax PAN

Refer instruction kit for filing the form

Director related information

1 (a) *Director Identification Number (DIN)

(b) *Name

2 Director's Name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

3 Father's Name (Married woman shall also give father's name)

(a) First name

(b) Last name

(c) Middle name

4 *Whether a citizen of India

Yes No

5 *Nationality

6 *Whether resident in India

Yes No

7 *Date of birth (DD/MM/YYYY)

8 *Gender

Male Female Transgender

9 Income tax PAN

Verify Income Tax PAN

10 *Do you have Aadhaar

Yes No

Aadhar number

11 Voter's Identity card number

12 *Do you have a valid passport

Yes No

Passport number

13 Driving license number

14 *Personal Mobile Number

Send OTP

Re-send OTP

15 *Enter OTP for Mobile Number

Verify OTP

16 *Personal Email ID

Send OTP

Re-send OTP

17 *Enter OTP for e-mail ID

Verify OTP

18 Permanent residential address

Do you have permanent address outside India

Yes No

*Address Line 1

Address Line 2

*Country

*Pin Code/Zip Code

*Area/Locality

*City

District

*State/UT

*Jurisdiction of police station

Phone

Fax

19 *Whether present residential address is same as permanent residential address

Yes No

20 Present residential address

*Address Line 1

Address Line 2

*Country

*Pin Code/Zip Code

*Area/Locality

*City

District

*State/UT

*Jurisdiction of police station

Phone

Fax

Attachments

(a) *Proof of permanent address

(b) Copy of Aadhaar Card

(c) Copy of Passport

(d) Proof of present address

(e) Optional attachment(s) - if any

Verification

I, hereby confirm and verify that the particulars given in the Form herein above are true and also are in agreement with the documents being attached to this form.

(i) The documents being attached to the Form DIR-3KYC belong to me. I further confirm that all required documents have been duly issued by the respective government authority and are attached to the Form DIR-3 KYC;

(ii) I further confirm that the Mobile No and email ID belong personally to me;

(iii) I have not been declared as a proclaimed offender by any court of Economic Offences or court of Judicial Magistrate or High Court or any other Court;

(iv) I have no other allotted DIN other than DIN in which changes are intimated under section 154 of the Companies Act, 2013 or a Designated Partner Identification Number under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008; and

(v) I shall be liable under section 447 read with section 448 of the Companies Act, 2013 and under relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860 and any other law as applicable, if any statement in this application is found to be false or any material fact is found to be have been omitted.

***To be digitally signed by DIN holder**

DSC BOX

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification/verification of this form. It is hereby certified that:

- *I have satisfied myself about the identity of the DIN holder and his address based on the perusal of the original of the attached document.
Note: In case where the DIN holder is residing outside India the particulars have to be verified from the documents duly attested by the attesting authority as prescribed.
- *I have verified and attested the documents of the DIN holder based on the Originals documents produced before me.
- *All required attachments have been completely attached to this application.
- *I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules there under for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/DIN holder which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

*I further certify that:

- *Mobile No and email ID belong to the Director signing the form.
- *All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.
- *I have kept a copy of this form and attachments thereto, in my records for further reference.
- *It is understood that I shall be liable for action under section 447 read with section 448 of The Companies Act, 2013 for wrong certifications, if any found at any stage.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

*** Category**

(Chartered accountant (in whole-time practice,
Cost accountant (in whole-time practice, Secretary (in whole-time practice)

***Whether associate or fellow**

Associate Fellow

Membership number

Certificate of Practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 447 read with section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the director and professional.



FORM NO. DIR-3-KYC-WEB

Verify Director's KYC Details

[Pursuant to rule 12A of The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

Form language

English

Hindi

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

User Verification

1 *DIN of director

2 (a) *Personal Mobile Number

Send OTP

Re-send OTP

*Enter OTP for Mobile Number

Verify OTP

2 (b) *Personal Email ID

Send OTP

Re-send OTP

*Enter OTP for email-ID

Verify OTP

User details

3 *Director's Name

4 *Father's Name

5 *Citizen of India

Yes No

6 *Nationality

7 *Resident of India

Yes No

8 *Date of Birth (DD/MM/YYYY)

9 *Gender

10 Income Tax PAN

11 Aadhaar Number

12 Voter's Identity Card Number

13 Passport Number

14 Driving License Number

15 *Permanent Residential Address

16 *Present Residential Address

Confirmation

*I, accept and confirm that the particulars given herein above are true, correct, and complete.

Cancel

Save

Proceed

[F. No. 8/4/2018-CL-I- Part I]


MANOJ PANDEY, Joint Secretary

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 259(E), dated the 31st March, 2014 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 439 (E), dated the 10th June, 2022.